अत्यन्त महत्वपूर्ण

संख्या: 72/2021/1419506/12-2099/139/2021

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 18 अक्टूबर, 2021

विषय: कृषकों को उर्वरकों की बिक्री जोत-बही/खतौनी में अंकित कृषित भूमि एवं फसल की संस्तुतियों के आधार पर किया जाना।

महोदय,

कृपया कृषि विभाग के शासनादेश संख्या: 45/2021/1419506/12-2099/139/2021 दिनॉक 06 अगस्त, 2021 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके बिन्दु संख्या-8 में कृषकों को उनकी जोत/कृषि भूमि के आधार पर ही नियमित रूप से फसल की संस्तुतियों के अनुरूप उर्वरकों का वितरण एवं बिक्री सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में प्रदेश में कृषकों द्वारा रबी फसलों की बुवाई का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। रबी फसलों की बुवाई के समय फसल वेसल-ड्रेसिंग में मुख्यतया फास्फेटिक उर्वरकों यथा डी0ए0पी0, एन0पी0के0 एवं एस0एस0पी0 उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, जिससे वर्तमान में फास्फेटिक उर्वरकों की मांग अधिक होती है। शासन की प्राथमिकता है कि प्रत्येक कृषकों को उसके द्वारा उगाई जाने वाली फसल की निर्धारित संस्तुतियों के अनुसार फास्फेटिक उर्वरक पर्याप्त मात्रा में ससमय उपलब्ध हो।

3. अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषकों को समय से उर्वरकों की उपलब्ध्ता सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार प्रभावी कार्यवाही की जाए तथा इसका नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए:-

(1) कृषकों को उर्वरकों की बिक्री करते समय उनकी जोत-बही/खतौनी देखकर उसमें अंकित कृषित भूमि एवं उगाई जाने वाली फसल की निर्धारित संस्तुतियों के अनुसार पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से उर्वरकों की बिक्री सुनिश्चित की जाए।

(2) उर्वरक विक्रेताओं द्वारा अपने विक्रय केन्द्रों पर उर्वरक बिक्री करते समय उर्वरकों का वितरण विक्रय रजिस्टर पर अनिवार्य रूप से अंकित किया जए। विवरण में क्रेता कृषक की जोत-बही/खतौनी एवं बोई जाने वाली फसल का विवरण भी अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए।

(3) शासनादेश के अनुसार जनपद में प्राप्त होने वाली उर्वरकों का सुगमतापूर्वक कृशकों की मॉग/आवश्यकता के अनुरूप वितरण किए जाने हेतु सहकारिता विभाग के साधन सहकारी समतियों एवं अन्य सहकारी संस्थाओं तथा निजी क्षत्र के प्रत्येक उर्वरक बिक्री केन्द्र पर उर्वरक की बिक्री की सतत् निगरानी किए जाने हेतु कृषि, सहकारिता, ग्राम्य विकास विभाग एवं यथावश्यक अन्य विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की बिक्री केन्द्रों पर केन्द्रवार ड्यूटी लगाई जाए, तथा, प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपने निरीक्षण के समय बिक्री केन्द्रों पर उर्वरक वितरण रजिस्टर पर कृषकों की जोत-बही/खतौनी एवं बोई जाने वाली फसल का वितरण अंकित किए जाने का सत्यापन किया जाए।

http://sfsandesh.up.gov.in

(4) यदि उर्वरक विक्रेता अधिकतम खुदरा मूल्य पर उर्वरक बिक्री करता पाया जाए तो उसके विरूद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तुअधनियम, 1955 के प्राविधान के अनुसार प्रभावी विधिसंगत कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिचित की जाए।

(5) फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के साथ थोक उर्वरक विक्रेताओं एवं वफर स्टाकिस्टों का सघन निरीक्षण किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं थोक उर्वरक विक्रेता स्थानीय स्तर पर अपने पास उर्वरक का अनावश्यक भण्डारण कर, उर्वरकों का कृत्रिम अभाव तो उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, तथा, अधिक भण्डारित स्टॉक को बाजार में कृषकों के लिए बिक्री हेतु अविलम्ब अवमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए, तथा, दोषियों के विरूद्ध सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 72/2021/1419506(1)।12-2099/139/2021 तद्दिनॉक।

प्रितलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
2. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
3. प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एफ0/यू0पी0स्टेट एग्रो/औद्यानिक संघ/गन्ना संघ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
5. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश,
6. समस्त राज्य विपणन प्रबन्धक/विपणन प्रबन्धक, उर्वरक विनिर्माता/प्रदायकर्ता संस्थाएँ, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश,
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in